राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स ,जेल रोड, भोपाल

क्र/एनएचएम/एच.आर./2020/7313 भोपाल, दिनांक– 05.06.2020

प्रति,

1.समस्त जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति,म.प्र.।
2.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।

विषयः– COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर को आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भः–1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं का परिपत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/288, दिनांक 25/3/2020.
2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का परिपत्र क्रमांक एनएचएम/ एचआर/ 2020/6797 भोपाल दिनांक 24/5/2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र क्रमांक 1 से जिला स्तर पर चिकित्सक /स्टॉफ नर्स /पैरामेडिकल स्टॉफ को अस्थायी अवधि 3 माह के लिये नियोजित करने के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्रत्यायोजित किये गए थेः–

स.क्र	पदनाम	योग्यता	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	1. एम.डी. मेडिसिन 2. एम.डी.ऐनेस्थिेशिया 3. पलमोनोलॉजिस्ट	1,25,000/–(डिग्री) 1,10,000/–(डिप्लोमा) इसके अतिरिक्त COVID-19 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में विषय विशेषज्ञता के कारण इन्हें100%प्रोत्साहन (Incentives) राशि देय होगी।
2	चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौसिंल में जीवित पंजीयन ।	60,000/–
3	आयुष चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक)	बी.ए.एम.एस/ बी.यू.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं म.प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित पंजीयन /म.प्र. होम्योपैथी परिषद में जीवित पंजीयन ।	25,000/–
4	स्टॉफ नर्स (महिला/पुरूष)	नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त एवं म.प्र. नर्सिंग कौसिंल में जीवित पंजीयन।	20,000/–
5	एएनएम	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त एवं म.प्र. नर्सिंग कौसिंल जीवित पंजीयन।	12,000/–
6	पैरामेडिकल स्टॉफ 1. फार्मासिस्ट 2. लैब टेक्निशियन	1. औषध निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में बी–फार्मा अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में एम फार्मा तथा म. प्र. फार्मेसी कौसिंल का जीवित पंजीयन । 2. पैथलॉजी का 02 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का डिग्री पाठ्यक्रम (बीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमएमएलटी) तथा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।	15,000/– 15,000/–

सपोर्ट स्टॉफ (वार्ड बॉय), क्लीनिंग स्टॉफ, सिक्युरिटी गार्ड को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर अस्थायी रूप से तीन माह हेतु आवश्यकतानुसार लिया जा सकेगा।

सन्दर्भित परिपत्र क्रमांक 2 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के परिपत्र दिनांक 25/3/2020 के क्रम में ही 3 माह हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था की जाये एवं मानव संसाधन की व्यवस्था से पूर्व आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं से अनुमति प्राप्त करने हेतु समस्त प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाये परन्तु उक्त निर्देश के पश्चात् भी यह देखने में आ रहा है कि कुछ जिलें जैसे – खण्डवा, धार, गुना, द्वारा वे पद जो कि दिनांक 25/3/2020 के परिपत्र में उल्लेखित नही है, की भी विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया कर रहे है अथवा उक्त पदों हेतु भर्ती की अनुमति मांगी जा रही है।

इस संबंध में समस्त उल्लेखित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भित परिपत्र क्रमांक 288 दिनांक 25/3/2020 के संदर्भ में उल्लेखित पदों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही तीन माह के लिये ही मानव संसाधन की व्यवस्था की जाना है। दिनांक 24/05/2020 के परिपत्र में संलग्न सूची (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं) के पदों की जानकारी आपकी सुविधा के लिये दी गई थी, सूची में उल्लेखित संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के वे पद जो कि दिनांक 25/3/2020 के परिपत्र में सम्मिलित नही है की 03 माह हेतु अस्थाई भर्ती संबंधी प्रक्रिया न की जाये अथवा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं को प्रेषित ना किये जाये।

अतः कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यायोजित किये गए अधिकारों से बाहर जाकर पदों की विज्ञप्ति जारी की गई हो तो उसे तत्काल निरस्त करें, अन्यथा पत्र में उल्लेखित दिशा निर्देशों से बाहर जाकर की जाने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अथवा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं उत्तरदायी नहीं होगा।

(फैज अहमद किदवई)
स्वास्थ्य आयुक्त एवं प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क/एनएचएम/एच.आर./2020/7314 **भोपाल, दिनांक–**05.06.**2020**

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा ,मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त ,चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.।
5. समस्त डीन, चिकित्सा महाविद्यालय,म.प्र.।
6. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.।
7. अपर संचालक विज्ञप्त/अविज्ञप्त/नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
8. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम.,म.प्र.।
9. अपर संचालक, आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
10. प्रभारी कोविड–19 , आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
11. उप संचालक मानव संसाधन/लीगल एन.एच.एम.,म.प्र.।
12. उप संचालक आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
13. उप संचालक आई.टी.,एनएचएम की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
15. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,म.प्र.।
16. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त एवं प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग